सूचना का अधिकार अधिनियम 2005/6 के तहत निम्नलिखित सूचनायें प्रदान की जाये।

सेवा में,

श्री अश्वनी जैन

कार्यपालक निदेशक (सीएमजी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय

पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय सैदामिनी, प्लाट नं0 2, सेक्टर 29, गुड़गांव हरियाणा 122001.

महोदय,

सूचना के धारा 7 के उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ठ समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ एवं लोक सूचनाधिकारी के द्वारा दिये गये सूचना से व्यथित हैं। दिनांक 04.02.2017 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सूचनाएं मांगी गयी थी जिसके प्रतिउत्तर में लोक सूचनाधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2017 को सूचनाओं का प्रतिउत्तर भेजा गया जो मुझे दिनांक 05.04.2017 को अनुबंध – क के रूप में प्राप्त हुआ। महोदय उक्त अनुबंध – क का अवलोकन करते हुए सूचना क्रम संख्या 1 एवं 4 के प्रतिउत्तर संतोषप्रद नहीं है, कृपया उक्त सूचनाओं के जवाब देवनागरी भाषा में देने की कृपा करें एवं साथ ही अगर Central Electricity tregulantions for "Measures relatingto safety and Electric Supply 2010 के अनुसार भारत सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं जो उक्त सूचनाओं के प्रतिउत्तर में सहायक हो तो उसकी भी संक्षिप्त प्रति चिह्नांकन किया हुआ एवं हिन्दी भाषा में प्रेषित करने की कृपा करें, साथ ही प्रतिउत्तर में यह भी सुनिश्चित करें कि परिपोषण लाईन 132kV, 220kV, 400kV, तथा 800kV, तार के निचे अथवा पास से आवास या घर की कितनी दूरी होनी चाहिए।

आवेदक का नाम	संजय सिंह मो0 9305131356
पूरा पता	N1/65C-1E, Shiv Prasad Gupt Nagar colony Samneghat, Lanka Varanasi 221005.
मांग की गयी सूचना	**सूचना के अधिकार अधिनियम 2005/6 के तहत निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की जाये।** 1. महोदय पॉवर लाईन से कितनी दूरी पर घर या आवास बनाया जा सकाता है। 2. क्या पॉवर लाईन से कोई रेडिएशन निकलता है जो जान माल या इलैक्ट्रानिक उपकरणों के लिए हानिकारक है। 3. आपके यहां से कितने – कितने बोल्ट का या पॉवर का ट्रान्समिशन किया जाता है। 4. सबसे कम बोल्ट के पॉवर लाईन क्या किसी बस्ती, गॉव के पास से जा सकती है या लाईन से कितनी दूरी छोड़ कर आवास बनाया जा सकता है। 5. टावर लगाते समय तो जमीन के मालिक को कुछ पैसे समायोजन के लिये दिये जाते है पर क्या उस भूमि जहां से तार गये है क्या वहां आवासीय घर या प्लाट खरीदा जा सकता है और क्या उस पर भी पैसे पॉवर ग्रिड द्वारा समायोजनके लिये दिये जाते है। 6. अगर भविष्य में कोई दुर्घटना टावर अथवा तार से होती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है और उसका मुवाबजा किसके द्वारा देय होगा।
मैनें रू 10.00 (बीस रूपये) का भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) संख्या ..... केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के नाम से संलग्न किया है। एवं लोक सूचनाधिकारी द्वारा दिये गये अनुबंध–क संलग्न ।	

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गयी सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005/6 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

स्थान : वाराणसी

भवदीय

तिथि : 22.02.2017.

(संजय सिंह)

अनुबंध - क

श्री संजय सिंह, वाराणसी के द्वारा सूचना के अधिकार नियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई जानकारी

निवेदक द्वारा माँगी गई जानकारी सामान्य प्रकृति के हैं तथा विशेष रूप पॉवरग्रिड के किसी भी पारेषण लाइन से संबध नहीं रखते हैं।

माँगी गई जानकारी बिंदुवार निम्न विवरण के अनुसार है।

(1.) घर या आवास बनाने के लिए पॉवर लाइन से न्यूनतम दूरी पॉवर लाइन के वोल्टेज पर निर्भर करता है तथा यह *Central Electricity Authority Regulations for "Measures relating to Safety and Electric Supply, 2010"* के अनुसार तय किए जाते है।

(2.) पॉवर लाइन से कोई हानिकारक रेडिएशन नहीं निकलता है। बिजली के प्रवाह से उत्पन्न interference की मात्रा भी अंतराष्ट्रिय मानकों के अनुरूप होती है और यह जान-माल या इलेक्ट्रानिक उपकरणों लिए हानिकारक नहीं होते हैं।

(3.) पॉवरग्रिड में पारेषण(Transmission) लाइनें 132kV, 220kV, 400kV, 765kV तथा 800kV की हैं जिनसे पॉवर का पारेषण(Transmission) किया जाता है।

(4.) इसका उत्तर (1.) के अनुसार है।

(5.) पारेषण(Transmission) लाइनों का तार जिस भूमि के ऊपर से जा रहे हैं वहाँ आवासीय घर या प्लॉट खरीदा खरीदे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय द्वारा पारेषण लाइन के राइट ऑफ वे(मार्ग का अधिकार) के अंतर्गत टॉवर के लिए उपयोग की जा रही भूमि एवं तार के नीचे आनेवाली भूमि हेतु मुआवजा के लिए दिशा निर्देश दिनांक:15.10.2015 को जारी किए गए है जो कि निम्न है:

(अ) टावर खड़ा करने की वजह से पूरी तरह प्रभावित टावर के बेस एरिया (चारो लेग के बीच की जगह) की जमीन की मूल्य का 85% भाग मुआवजा के लिए देय होगा।

(आ) पारेषण लाइन बिछाए जाने की वजह से, राइट ऑफ वे (मार्ग का अधिकार) के अंदर आनेवाली जमीन की मूल्य का 15% (अधिकतम) भाग मुआवजा के लिए देय होगा।

इस संबंध में भारत सरकार ने मुआवजा के लिए उपरोक्त उल्लिखित दिशा निर्देशों के पालन हेतु समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को आग्रह किया है।

(6.) अगर भविष्य में कोई दुर्घटना टावर अथवा तार से होती है तो उसकी जिम्मेदारी और मुआवजा इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कारण क्या है तथा नुकसान क्या है।